Irregular selection procedure for the post of Director of National Health System Resource Centre

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं, जो शुचिता एवं संविधान की मर्यादा से जुड़ा है। अभी हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ मिशन के लिए बनाए गए तकनीकी संस्थान, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के निदेशक पद के लिए 26.1.2016 को विज्ञापन दिया। इसी संस्थान में कार्यरत कम्युनिटी प्रोसेस के एडवाइजर को कुछ अधिकारियों ने इंटरव्यू के पहले ही सुनिश्चित कर दिया कि उन्हीं का चयन होगा और अपने वायदे को पूरा करने के लिए देश भर से आए सैंकड़ों आवेदनों को दरकिनार करते हुए मात्र चार-पांच उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जो या तो मंत्रालय के अधिकारियों के पसंदीदा उम्मीदवार के सहयोगी थे या उनके साथ पहले काम किए हुए थे। पूरे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या सिर्फ चार-पांच उम्मीदवार ही मिले, जो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं? मंत्री जी जिसके खिलाफ 17 मार्च, 2017 को जांच का आदेश देते हैं, उनके विभाग के अधिकारी 30 मार्च, 2017 को उसी को प्रभारी कार्यकारी बना देते हैं। ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। क्या यह न्यायोचित है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अधिकारी एक खास व्यक्ति के चयन के लिए चयन प्रक्रिया के स्थापित मानकों को ही समाप्त कर दें? उपसभापति जी, मैं कम्युनिटी प्रोसेस के एडवाइजर के कारनामे का उल्लेख आपके एवं सदन के सामने करना चाहता हूं। एन.एच.एस.आर.सी. के कम्युनिटी प्रोसेस के एडवाइजर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से विभिन्न पदों की चयन प्रक्रिया को प्रभावित करती रही है एवं अपने से जुड़े एन.जी.ओ. को प्रोग्राम दिलाती रही है, जिसमें वित्तीय अनुदान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। बिना राज्य सरकार के सहयोग के आठवीं पास स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अंग्रेजी में हजारों किताबें छपवाई हैं। इसके लिए दिल्ली के बेरसराय एवं मुनीरका में किराये पर फ्लैट देकर उसमें गोदाम की तरह भारी मात्रा में पुस्तकें रखवा दी गई हैं, जो किं ससाधनों का दुरुपयोग है। मेरा अनुरोध है कि इन बिन्दुओं की जांच की जाए एवं इस संस्था के निदेशक पद पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया कर सुयोग्य व्यक्ति को देश की सेवा का मौका दिया जाए।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

Rising cases of honour killing

श्रीमती झरना दास वैद्य (त्रिपुरा): सर, मैं एक अहम मुद्दा आज हाउस के सामने रखना चाहती हूं। सर, यह मैं ऑनर किलिंग, जिसे हम लोग जानते भी नहीं थे। मैं नॉर्थ-ईस्ट से आती हूं। हमने अपने स्टेट में कभी भी ऐसा होते नहीं सुना कि जब प्यार के लिए, अपर कास्ट लड़की के साथ कोई लड़का प्यार करे तो उसको मार दिया जाए। ऐसी बातें हम लोगों ने कभी नहीं सुनीं, जिनको अब सुना जा रहा है। दिल्ली में तथा अन्य जगह यह बढ़ता ही जा रहा है। एक 28 वर्ष के लड़के मोहंती मधुकर के तेलंगाना में पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक अपर कास्ट लड़की के साथ प्यार करने पर उसकी आंख निकाल दी गई तथा बुरी तरह से उनको मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी एक लड़की के साथ एक दलित लड़के द्वारा प्यार करने पर दोनों को मार दिया गया। यह कैसा देश है? हमारे स्वतंत्र देश में

ऐसा कैसे हो रहा है? क्या इसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? उनको ऐसे कैसे मार दिया जाता है? इसके लिए मैं इस सदन को, जहां सभी पोलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, कहना चाहती हूं कि यह दिन-पर-दिन बढ़ता ही जा रहा है। 19 वर्ष का लड़का और एक 17 साल की लड़की जिसका नाम गीता था, उनको भी मार दिया गया। क्या प्यार कोई जाति, धर्म देखकर किया जाता है? प्यार करना क्या अपराध है? इसलिए मैं मांग करती हूं कि इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए, एक आईन बनना चाहिए। आईन बनाइए, क्योंकि जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे कि किसलिए इस तरीके की घटना घट रही है? धन्यवाद।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री शरद यादव (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself. ...*(Interruptions)*... Sir, it is not honour killing but. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, everybody is concerned with this. ...*(Interruptions)*... All are concerned. ...*(Interruptions)*... That is the feeling of the entire Hose. ...*(Interruptions)*... Now, Shri K.K. Ragesh.

Need to make NCERT study material mandatory to all CBSE schools

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Thank you, Deputy Chairman, Sir. Through you, I urge upon the HRD Ministry—the hon. Minister is here—to ensure, to make NCERT textbooks mandatory to all CBSE schools. Of course, it is a very good step that is being taken by the HRD Ministry. In a meeting chaired by the hon. Minister himself, it was decided that the NCERT textbooks are going to be made mandatory in all CBSE schools. But, Sir, unfortunately, irrespective of the decision taken by the HRD Ministry, most of the private schools, the CBSE schools, they are not implementing the decision taken by the HRD Ministry. They are trying to find a way out to not implement the decision. Sir, a majority of the private schools are compelling the students and parents to purchase books from certain private publishers and what they are doing is, they are charging ₹300 to ₹ 600 more and sometimes it is ₹ 1,000 more than the prices that is being charged for the NCERT books. Sir, it is a kind of loot. As we all know, imparting education is not a trade, occupation or business. It is being clarified by the Supreme Court itself, time and again, that imparting education is not a trade, occupation or business under Article 19(1)(g) of our Constitution. But, unfortunately, many of the private schools are using education as a tool to loot the students. They are making imparting of education as a business, as a